भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्याः 2931
गुरुवार, 12 दिसंबर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान किराया विनियमित करने के लिए तंत्र

2931. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार विमान किराया को विनियमित करने के लिए मूल्य नियंत्रण तंत्र को कार्यान्वित करने हेतु कौन-कौन सी विशिष्ट नीतिगत पहल करने पर विचार कर रही है;

(ख) परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी संसदीय समिति की हाल की सिफारिशों के आलोक में सरकार द्वारा मार्ग-विशिष्ट किराया सीमा तय करने और विमान किराया विनियमन की निगरानी के लिए अर्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार का यात्रियों के लिए उचित किराया सुनिश्चित करने हेतु व्यस्ततम यात्रा सीजन के दौरान किराए में अत्यधिक वृद्धि से संबंधित चिंताओं का समाधान किस प्रकार करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग)**:** वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में विमान किराए में कमी आई है। एयरलाइनों को युक्तिसंगत विमान किराए निर्धारित करने के लिए तथा यात्रियों के हितों को ध्यान में रखने के लिए भी जागरूक किया गया है। उल्लेखनीय है कि त्यौहार सीजन के दौरान विभिन्न सेक्टरों में विमान किराए में कमी देखी गई।

एयरलाइनों को उनकी वेबसाइट के होम पेज के प्रमुख स्थान पर टैरिफ शीट प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक टैरिफ मॉनीटरिंग इकाई (टीएमयू) की स्थापना की है, जो मासिक आधार पर एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके औचक आधार पर चयनित घरेलू सेक्टरों पर विमान किराए की मॉनीटरिंग करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से बाहर विमान किराया नहीं वसूलें।

विमान किराए की प्रकृति गतिशील होती है और मांग व आपूर्ति के सिद्धांत का अनुपालन करती है। भारत में विमान किराए की कीमतों में रुझान, काफी हद तक मौसमियता, प्रचलित ईंधन मूल्य, मार्ग पर परिचालन करने वाले विमानों की क्षमता, क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, मौसम, छुट्टियां, त्यौहार, लंबे सप्ताहांत, कार्यक्रम (खेल, मेले, प्रतियोगिताएं) आदि को दर्शाते हैं। इसके अलावा, विमान किराए का मूल्य निर्धारण, हवाईअड्डों पर प्रचालनिक बाधाओं से काफी प्रभावित होता है। जिन मार्गों पर पर्यटकों की अधिक मांग होती है, वे भूभाग, मौसम की स्थिति और सीमित परिचालन घंटों के कारण सीमाओं के अध्यधीन होते हैं। सीमित क्षमता और उच्च मांग के संयोजन से विमान किराए में उतार-चढ़ाव होता है।

विमान किराए सरकार के विनियमन के अधीन नहीं हैं और एयरलाइनों को वायुयान अधिनियम, 1937 के नियम 135 का अनुपालन करते हुए अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर विमान किराए का निर्धारण करने की छूट है। जहां सरकार आम तौर पर बाजार में प्रतिस्पर्धा

बनाए रखने के लिए विमान किराए को विनियमित नहीं करती है, वहीं वह सतर्क रहती है, और यात्रियों की सुविधा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक मूल्य निर्धारण को रोकने हेतु एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में क्षमता स्थानांतरित करने के लिए हस्तक्षेप करती है।

अर्ध-न्यायिक शक्तियों के साथ डीजीसीए को एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले विमान किराए की मॉनिटरिंग का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता है। इसलिए, विमान किराए की मॉनिटरिंग के लिए किसी अन्य अलग निकाय की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय विमानन उद्योग की जटिल गतिशीलता को देखते हुए, सरकार इस क्षेत्र के विकास को सहयोग देने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करके एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभा रही है।

******